राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या–1832/2014.....जिला.....जयपुर.....

उनवान– श्री मुकेशकुमार पुत्र श्री कप्तान सिंह, गांव–कीथम,जिला–आगमरा, बनाम् सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत्त–'प्रथम', घट–प्रथम, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.10.2014	**खण्डपीठ** **श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष** **श्री मदन लाल,सदस्य** अपीलार्थी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.10.2014, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसमें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत्त–प्रथम, घट–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) सपठित 76(12), 76(13) एवम् 76(9) के तहत् पारित आदेश दिनांक 19.09.2014 के जरिये कायम की गयी शास्ति की मांग राशि के संबंध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने को विवादित कर, सुनवायी के दौरान रू.13,55,303/– की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी है। अपीलार्थी की ओर से श्री एस.के.जैन, अभिभाषक व विभाग की ओर से उप–राजकीय अभिभभाषक श्री आर.के.अजमेरा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र पर बहस हेतु उपस्थित हुये। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलार्थी द्वारा वसूली पर रोक लगाने के हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करने के आदेश में किसी प्रकार के कारणों का कोई अंकन नहीं किया गया है जो अस्पष्ट आदेश की श्रेणी में आता है। इस संबंध में अग्रिम अभिवाक् किया कि माल राज्य के बाहर से यानि दिल्ली से राज्य के बाहर ग्वालियर, नागपुर व अकोला के लिये परिवहनीत किया जा रहा था, जिसमें बिना अपीलार्थी को राज्य के बाहर माल ले जाने के साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का युक्तियुक्त मौका दिये बिना ही इस संबंध में मिथ्या दस्तावेजों के आधार पर माल का परिवहन करना अवधारित कर, शास्ति आरोपित करना पूर्णतः अविधिक एवम् अनुचित है । इस संबंध में अग्रिम तर्क दिया कि प्रत्यर्थी सशक्त अधिकारी ने प्रस्तुत किये गये जवाब पर भी कोई गौर नहीं किया है, न ही उसके द्वारा चाहे गये दस्तावेजों की प्रमाणित लगातार.....2	

30.10.2014

प्रतियां समय पर प्रदान कर, सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर ही दिया गया है । कथन किया कि दस्तावेजों में अंकित स्थानों पर जांच प्रत्यर्थी सशक्त अधिकारी द्वारा नहीं की गयी है। इस संबंध में किसी प्रकार के दस्तावेजों की "कूट रचना" को प्रमाणित हुये बिना ही अपीलीय अधिकारी ने प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र को आंशिक रूप स्वीकार किया गया है। अग्रिम अभिवाक् किया कि प्रतिपरीक्षण का मौका प्रदान किये बिना एवम् वाहन चालक के बयानों को आधार बनाकर, बिना युक्तियुक्त कारणों के केवल अनुमान के आधार पर माल को राजस्थान राज्य के लिये आयातित होना अवधारित कर, सशक्त अधिकारी द्वारा मांग राशि कायम की गयी है जो प्रथम दृष्ट्या ही अविधिक एवम् अनुचित है । अपने कथन के समर्थन में माननीय न्यायालयों के न्यायिक दृष्टांत स.वा.क.अ. उड़नदस्ता–द्वितीय, जयपुर बनाम् मैसर्स सोढ़ी ट्रांसपोर्ट कम्पनी, (1998) 108 एस.टी.सी. 490 (आर.टी.टी.), सहायक आयुक्त, उड़नदस्ता, मुख्यालय, जयपुर बनाम् मैसर्स ग्लोब ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जयपुर (2000) 27 आर.टी.जे.एस. 42 (आर.टी.टी.), मैसर्स चावला हाईवे कैरियर्स बनाम् राजस्थान राज्य एण्ड अदर्स (1994) II एस.टी.ओ. 201 (राज.), मैसर्स मोंगा रोड लाईन्स (दिल्ली) प्रा.लि., दिल्ली बनाम् स.वा.क.अ.,उड़नदस्ता, अजमेर (2003) 2 आर.टी.आर. 381(आर.टी.बी.), राजस्थान राज्य एण्ड अदर्स बनाम् मैसर्स सोढ़ी ट्रांसपोर्ट कम्पनी, (2001) 10 एस.टी.टी. 219 (राज.) व राजस्थान राज्य एण्ड अदर्स बनाम् मैसर्स सोढ़ी ट्रांसपोर्ट कम्पनी, (2001) 10 एस.टी.टी. 218 (सु.को.), 66 एस.टी.सी. 292, (1988) 71 एस.टी.सी. 153, (1992) 85 एस.टी.सी. 59, 42 एस.टी.सी. 348, 48 एस.टी.सी. 369, को प्रोद्धरित कर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन प्रथम दृष्ट्या, अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट किया जाकर, बकाया वसूली योग्य मांग राशि रू. 13,55,303/– की वसूली पर रोक लगाने का निवेदन किया अन्यथा अपीलार्थी व्यवहारी को अपूरणीय क्षति होने का तर्क दिया गया ।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा निर्धारण अधिकारी एवम् अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक आवेदन पत्र को अस्वीकार करने का कथन किया गया। इस संबंध में अग्रिम अभिवाक् किया कि अधिनियम की धारा 76(12) व 76(13) के प्रावधान विशिष्ट हैं तथा मिथ्या दस्तावेजों के जरिये माल का परिवहन किया जाना प्रकट है । प्रतिसत्यापन जांच में भी प्रेषक व प्रेषिति व्यवहारियों का अस्तित्व होना नहीं पाया गया है। अतः ऐसी स्थिति में, करापवंचन के उद्देश्य से मिथ्या दस्तावेजों के जरिये माल का परिवहन किया जाना प्रकट है। लिहाजा, प्रकरण व सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट कर, बकाया वसूली योग्य मांग राशियों पर रोक नहीं लगाने की प्रार्थना की गयी।

अपील संख्याः—1832/2014/जयपुर

30.10.2014

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवम् दोनों अवर अधिकरियों द्वारा पारित आदेशों के अध्ययन के पश्चात्, यह पीठ माननीय न्यायालयों के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के प्रकाश में, गुणावगुण को प्रभावित किये बिना, यह पीठ यह अनुभव करती है कि प्रकरण में परिवहनीत माल के राज्य में विक्रय किये जाने हेतु आयातित किये जाने अथवा नहीं किये जाने का महत्वपूर्ण बिन्दू अन्तवर्लित है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर, वसूली हेतु मांग राशि रू. 13,55,303/—की वसूली कार्यवाही पर सशक्त अधिकारी के संतोष के अनुरूप, इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में पर्याप्त जमानत प्रस्तुत करने की दशा में, अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय अथवा 3 माह, जो भी पहले हो, तक रोक लगायी जाती है । रोक आदेश की पालना के अभाव में उक्त स्वतः ही निष्प्रभावी हो जायेगा। इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें ।

7. अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है।

8. आदेश सुनाया गया।

30.10.2014

(मदन लाल)
सदस्य

(राकेश श्रीवास्तव)
अध्यक्ष